

रज़िर्व बैंक के रुख में बदलाव लेकिन ब्याज दर यथावत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीतिसमिति ने बाजार की आशा के विपरीत चौथी द्वैमासिक नीतिसमीक्षा में प्रमुख नीतितर दर को 6.5% पर रखने का निर्णय लिया है। हालाँकि रज़िर्व बैंक ने तटस्थ रहने की जगह नीतियों में कठोरता की जाँच करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- नीतितर दरों की इस घोषणा ने रुपए को कमजोर कर दिया और सेंसेक्स में 800 अंकों की गिरावट आई। सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमेरिकी फेड द्वारा नीतितर दरों में वृद्धि और रुपए पर गंभीर संकट के कारण भी भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा नीतितर दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद की गई थी।
- भारतीय रज़िर्व बैंक की इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि वह मुद्रास्फीति, जो कठोरता के अनुमान से कम थी, की तुलना में तरलता और बॉण्ड पर लाभ संबंधी कठोर नियमों के बारे में अधिक चिंतित था।
- भारतीय रज़िर्व बैंक के गवर्नर उर्जति पटेल ने कहा, रुपए का मूल्यह्रास कुछ मामलों में कई अन्य ईएमई [उभरते बाजार अर्थव्यवस्था] देशों की तुलना में मामूली रहा है। मार्च अंत से लेकर सितंबर अंत तक रुपए में 5.6% तक की मामूली प्रभावी गिरावट दर्ज की गई है। वास्तविक प्रभावी शर्तों के अनुसार रुपए का मूल्यह्रास 5% रहा है, साथ ही भारत बाहरी कारकों के कारण वैश्विक संकटों से प्रतिरक्षित नहीं है।
- आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के दूसरे छमाही के लिये मुद्रास्फीति पूर्वानुमान जो पहले 4.8% अनुमानित था, को 3.9-4.5% तक और 2019-20 के पहली त्रिमाही के लिये 5.8% से 4.8% तक कम किया। आरबीआई के अनुसार, "हालाँकि 2018-19 और 2019-20 की पहली त्रिमाही के लिये मुद्रास्फीति के अनुमान को अगस्त के प्रस्ताव से कम पर संशोधित किया गया है, किंतु इसके प्रकल्पवक्र का अगस्त 2018 के प्रस्ताव से ऊपर बढ़ने का अनुमान है।"
- रुपए ने 74 डॉलर के निशान को पार कर दानि के अंत में 73.77 डॉलर पर बंद होने से पहले 74.22 के निशान को छू लिया जो कि इसके पिछले बंद से 0.24% कम था।
- मौद्रिक नीति को तटस्थ से कड़े रुख में बदलने पर श्री पटेल ने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि इस चक्र में दर कटौती तालिका से बाहर थी लेकिन आरबीआई हर बैठक में दरों में वृद्धि करने के लिये बाध्य नहीं है।
- आरबीआई ने प्रत्येक अवसर पर पिछले दो नीतिसमीक्षा मीटिंगों में 25 बीपीएस की ब्याज दरों में वृद्धि का फैसला किया था। आरबीआई द्वारा तरलता पर ध्यान केंद्रित करने के निर्णय से ब्याज दरों, विशेष रूप से अल्पकालिक दरों पर एक गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- बैंकों ने इस सप्ताह की शुरुआत में उधार दरों में वृद्धि की उम्मीद से उधार दरों को बढ़ाया था, वे आगे ब्याज दर बढ़ाने से बच सकते हैं।

मौद्रिक नीतिसमिति

मौद्रिक नीतिसमिति (Monetary Policy Committee-MPC) भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था। भारतीय रज़िर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीतिनिर्माण को नवगठित मौद्रिक नीतिसमिति (MPC) को सौंप दिया गया है।

- वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा रज़िर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम) में संशोधन किया गया, ताकि मौद्रिक नीतिसमिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके।
- आरबीआई एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीतिसमिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य आरबीआई से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक करता है।
- रज़िर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि भारतीय रज़िर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीतिसमिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं।

